न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना

अपील संख्या 87/25 तारीख रज्जू– 19/02/25

1. धनसिंह पुत्र बटोल्या आयु 53 साल जाति गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तहसील बरनाला।
   –अपीलार्थी

बनाम

1. .सरकार जरिये तहसीलदार बरनाला । –रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 25.07.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बरनाला द्वारा मिसल संख्या 44/2024 में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम गढ़ीगोपालपुरा के आराजी ख0नं0 281,366 रकबा 0.12, 0.13 है0 कुल रकबा 0.25 है0 किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से तथा सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूऐदाद मिसल है जो खारिज होने योग्य है।अदालत मातहत ने अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्मी साबित ना होते हुये भी अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्मी मानकर अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने में कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं फरमाया कि पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिक्मी से संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नहीं है। ना ही हल्का पटवारी की दैनिक डायरी कोई प्रति ही पत्रावली के साथ पेश की गई है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्नी मानकर सिविल कारावस के दण्ड से दण्डित करने में कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने कानूनी प्रावधानों की पूरी तरह से अवहेलना की है तथा मात्र हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर ही अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने में कानूनी भूल की है, साथ ही पटवारी हल्का की नवीन रिपोर्ट दिनांक 27.06.2025 में अंकित किया है कि अतिक्मी द्वारा मौके से कब्जा हटा लिया है। अपीलार्थी पक्ष ने अपने साक्ष्य के रूप में एक शपथ पत्र इस आश्य का भी प्रस्तुत किया है कि नोटिस में वर्णित चरागाह भूमि पर मेरा कोई कब्जा नहीं है, साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिकमित आराजी पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:50:32 IST
Reason: SelfAttested

निकता नहीं है। पेरोकार सरकार ने दौरान बहस यह भी निवेदन किया है कि साथ ही कार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनने,उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है। पटवारी हल्का की नवीन रिपोर्ट दिनांक 27.06.2025 में अंकित किया है कि अतिक्रमी द्वारा मौके से कब्जा हटा लिया है। अपीलार्थी पक्ष ने अपने साक्ष्य के रूप में एक शपथ पत्र इस आशय का भी प्रस्तुत किया है कि नोटिस में वर्णित चरागाह भूमि पर मेरा कोई कब्जा नहीं है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय में अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश शास्ति , बेदखली व फसल निलामी को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25/07/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
अति0 जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:50:32 IST
Reason: SelfAttested